न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – **13/2020**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1958

उनवान

1–6 जगदीश, मीठालाल, बसन्तीलाल, गोविन्दराम, गापाल, चतनप्रकाश पिता रामनिवास मोची निवासियान् शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– प्रार्थीगण

बनाम

1 मु0 सीता पत्नी शंकरलाल खटीक निवासी शिवपुरा तह0 शाहपुरा
2 अम्बालाल पिता मांगीलाल ढोली निवासी खेराबाद तह0 शाहपुरा
3 रामसुख पिता हरदेव ढोली निवासी मुशी तह0 बनेडा
4 छोगा पिता बक्षा गाडरी निवासी रघुनाथपुरा तह0 शाहपुरा
5 निहाला पिता उगमा गाडरी निवासी रघुनाथपुरा तह0 शाहपुरा
6 बद्री पिता उगमा गाडरी निवासी रघुनाथपुरा तह0 शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– **श्री त्रिलोक चन्द नौलखा**
अधिवक्ता प्रार्थी

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 05/10/2020

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – प्रार्थीगण के ग्राम रघुनाथपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 436 रकबा 0.28, 430 रकबा 1.25, 445 रकबा 0.30, 446 रकबा 1.05, 452 रकबा 0.02, 446 रकबा 0.20, 467 रकबा 0.02, 475 रकबा 0.46,** कुल **किता 8** रकबा **3.58 हैक्टेयर** हैक्टेयर का प्रार्थीगण खातेदार /संयुक्त खातेदार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढी करवाइ जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम** रघुनाथपुरा **संवत** 2074 से **2077** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् के प्रार्थीगण खातेदार/ संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **रघुनाथपुरा** में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी/ संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् **किता 8 रकबा 3.58 हैक्टेयर हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढी **ऑफ सीजन में** किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 750/-- रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **05/10/2020** को सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shilpa Sing
Date: 2021.01.21 16:35:46 IST
Reason: SelfAttested

(शिल्पा सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

[मुहर: उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)]

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा